भारत में हिमालयी गिद्ध

- कैप्टिव-ब्रीडिंग परियोजना का संचालन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) और असम वन विभाग ने किया है।
- कैप्टिव-ब्रीडिंग कार्यक्रम का उद्देश्य जानवरों के आनुवंशिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए कैप्टिविटी (बंदी परिवेश) में रखे गए जानवरों की स्वस्थ आबादी को संरक्षित करना है।
- हिमालयी गिद्ध भारतीय मैदानी इलाकों के लिए एक सामान्य शीतकालीन प्रवासी पक्षी है।

- हिमालयी गिद्ध अधिक ऊंचाई पर रहने वाला पक्षी है। ऐसे में इस प्रजाति के लिए उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु वाली निचली भूमि में प्रजनन करना सामान्य घटना नहीं है।
- फ्रांस पहला देश था, जहां इस प्रजाति का कैप्टिविटी में प्रजनन करवाया गया था ।
- गिद्ध को कंडोर्स भी कहा जाता है। यह एक बड़ा शिकारी पक्षी है। विश्व भर में इसकी 23 प्रजातियां पाई जाती हैं।
- भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं।
- इन 9 प्रजातियों में से तीन प्रजातियां प्रवासी हैं। ये प्रवासी प्रजातियां हैं- सिनेरियस गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध और हिमालयी गिद्ध ।
- इन्हें सबसे कुशल मुर्दाखोर माना जाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका - निभाते हैं, क्योंकि ये सड़ती हुई लाशों से बीमारियों को फैलने से रोकते हैं।
- इन्हें सबसे कुशल मुर्दाखोर माना जाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका - निभाते हैं, क्योंकि ये सड़ती हुई लाशों से बीमारियों को फैलने से रोकते हैं।

गिद्धों के समक्ष खतरे:

- मवेशियों के उपचार में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक दवा के उपयोग से इनकी आबादी में गिरावट आई है;
- बिजली की तारों से करंट लगने से बड़ी संख्या में गिद्धों की मृत्यु हुई है आदि ।

गिद्ध संरक्षण के लिए पहलें:

- पशु चिकित्सा के लिए डाइक्लोफेनेक (2006 में).केटोप्रोफेन और एसेक्लोफेनाक (2023) दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-25 का संचालन किया जा रहा है।

भारत में गिद्ध की प्रजाति

इसमें भारत की 9 गिद्ध प्रजातियों, उनकी पहचान संबंधी विशेषताओं और उनके IUCN लाल सूची में दर्जे को दर्शाया गया है:

कुरील द्वीप समूह

- यूक्रेन पर रूस का आक्रमण जारी है, जिससे इसकी पश्चिमी सीमा पर संसाधन आवंटन में चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।
- जापान को कुरील द्वीप समूह को पुनः प्राप्त करने का मौका दिख रहा है, जिसे जापान में उत्तरी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना द्वारा जब्त कर लिया गया था।
- ये चार द्वीपों का एक समूह है जो जापान के सबसे उत्तरी प्रान्त, होक्काइडो के उत्तर के पास ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।
- ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट का हिस्सा हैं और इनमें 100 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 35 को गर्म झरनों के साथ सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है।

- जापान के होक्काइडो के उत्तरपूर्वी सिरे से लेकर रूस के कामचटका प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे तक फैले हुए हैं।
- इसमें 56 द्वीप शामिल हैं, जिनमें इटुरुप, कुनाशीर, शिकोटन और हबोमाई सबसे महत्वपूर्ण हैं।
- कुरील द्वीप प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं , जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण तीव्र ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र है।

विवादित क्षेत्र

- द्वीप कई सक्रिय ज्वालामुखियों का घर हैं, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं अलाएड, एबेको और चिकुराची ।

जापान - रूस विवादः-

- जापान इन्हें उत्तरी क्षेत्र कहता है, रूस इन्हें कुरील द्वीप समूह कहता है और दक्षिण कोरिया ने इन्हें दोक्दो द्वीप नाम दिया है।
- रूस और जापान दोनों उन पर संप्रभुता का दावा करते हैं, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ये द्वीप रूस के नियंत्रण में हैं।
- 1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि कानूनी सबूत है कि जापान ने द्वीपों पर रूसी संप्रभुता को स्वीकार किया था। संधि के अनुच्छेद 2 के तहत, जापान ने "कुरील द्वीपों पर सभी अधिकार, स्वामित्व और दावे को त्याग दिया था।'
- जापान सबसे दक्षिणी द्वीपों (इटुरुप, कुनाशीर, शिकोटन और हबोमाई) पर दावा करता है और उन्हें 'उत्तरी क्षेत्र' के रूप में संदर्भित करता है।
- रूस द्वीपों पर संप्रभुता बनाए रखता है और उन्हें अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है।
- क्षेत्रीय विवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध की शत्रुता को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने के लिए रूस और जापान के बीच औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने में बाधा उत्पन्न की है।

विवादित क्षेत्र का इतिहास

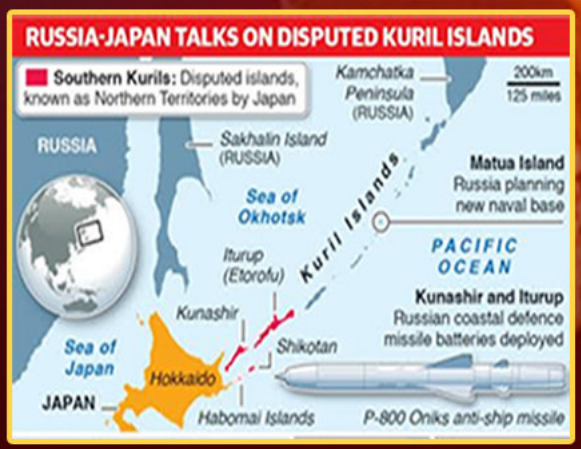

विशेषाधिकार प्रस्ताव

- राज्यसभा सभापति ने दो सांसदों (टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन और आप के राघव चड्ढा) के खिलाफ सदन के विशेषाधिकार से संबंधित शिकायतों को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया।
- राज्यसभा सचिवालय के अनुसार, सभापति द्वारा रिकॉर्ड से हटा दिए जाने के बावजूद, ओ ब्रायन के खिलाफ सदन में दिए गए उनके बयान की क्लिपिंग अपने ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित करने के लिए नोटिस दायर किया गया था।
- राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत में राज्यसभा के मानसून सत्र की शेष अवधि से आप के एक सांसद (संजय सिंह) के निलंबन के संबंध में मीडिया के सामने भ्रामक तथ्य पेश करने का जानबूझकर कृत्य करने का आरोप लगाया गया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है?

- संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं, ताकि वे 'प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन' कर सकें।
- जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है, तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है।
- किसी भी सदन के सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस पेश किया जाता है। इसका मकसद संबंधित मंत्री की निंदा करना है।

राज्यसभा अध्यक्ष की भूमिका

- स्पीकर/राज्यसभा अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव की जाँच का पहला स्तर है।
- स्पीकर/अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकता है या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकता है।
- यदि स्पीकर/सभापति प्रासंगिक नियमों के तहत सहमति देता है, तो संबंधित सदस्य को एक संक्षिप्त वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है।

नियंत्रित करने वाले नियम

- लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 के अनुरूप विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है।

- नियम कहते हैं कि कोई भी सदस्य, अध्यक्ष या चेयरपर्सन की सहमति से किसी सदस्य या सदन या उससे संबंधित समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन के संबंध में प्रश्न उठा सकता है।

संसदीय विशेषाधिकार

- संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट प्रदान करना है।
- संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकारों का उल्लेख है, अर्थात् संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।
- संविधान में निर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 सदन या उसकी समिति की बैठक के दौरान और उसके प्रारंभ होने से 40 दिन पहले तथा इसके समापन के 40 दिन बाद तक सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यों को गिरफ्तारी व हिरासत से मुक्ति प्रदान कर सकती है।
- ध्यातव्य है कि संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने हेतु कोई विशेष कानून नहीं बनाया है।

विशेषाधिकार समिति:-

- यह एक स्थायी समिति है। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जाँच करती है तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है।
- लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं।

अराश-डोर्रा गैस फील्ड विवाद

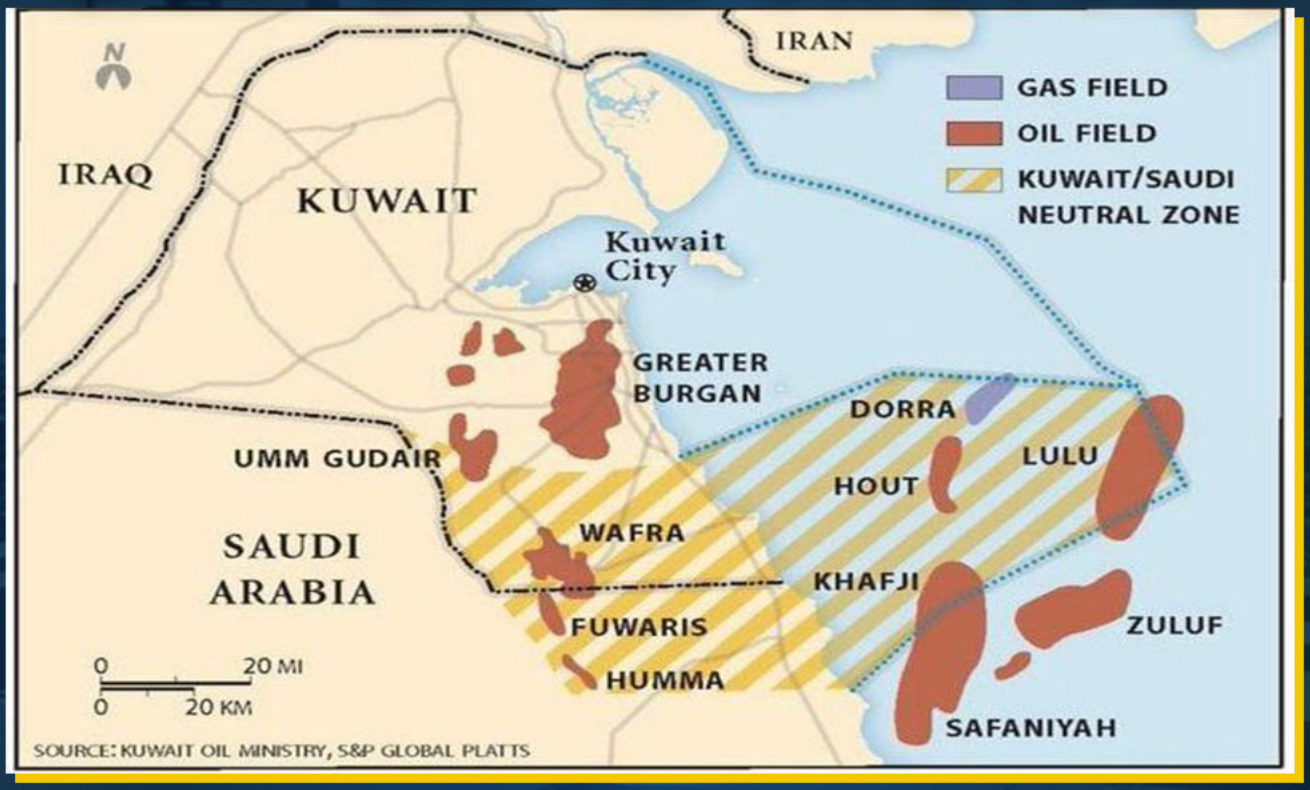

- सऊदी अरब और कुवैत ने दावा किया है कि विवादित गैस क्षेत्र पर उनका एकमात्र स्वामित्व है,
- जिस पर तेहरान द्वारा अन्वेषण जारी रखने की धमकी के बाद ईरान ने भी दावा किया है।
- अराश क्षेत्र वर्षों से देशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु रहा है। दोनों खाड़ी देशों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ईरान से अपनी समुद्री सीमाओं के सीमांकन पर बातचीत करने का आह्वान किया है।

- सऊदी अरब और कुवैत ने दावा किया है कि विवादित गैस क्षेत्र पर उनका एकमात्र स्वामित्व है,
- हालाँकि, ईरान ने कहा कि यदि कोई समाधान नहीं निकल पाता है तो वह किसी भी तरह से क्षेत्र का दोहन और अन्वेषण कर सकता है।
- यह एक संसाधन संपन्न अपतटीय क्षेत्र है जिस पर ईरान भी दावा करता है।
- ईरान में अराश और कुवैत और सऊदी अरब में डोर्रा के नाम से जाना जाने वाला अराश-डोर्रा गैस क्षेत्र तीन देशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु रहा है।
- इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस भंडार हैं, जो इसे सभी शामिल पक्षों के लिए अत्यधिक मूल्यवान संसाधन बनाता है।
- विवाद की जड़ें 1960 के दशक में खोजी जा सकती हैं जब ईरान और कुवैत ने अलग-अलग कंपनियों – क्रमशः एंग्लो-ईरानी ऑयल कंपनी (अब बीपी) और रॉयल डच शेल को अपतटीय रियायतें दी थीं।
- अराश-डोर्रा क्षेत्र के उत्तरी भाग में रियायतें ओवरलैप हो गईं, जिससे स्वामित्व और शोषण अधिकारों पर परस्पर विरोधी दावे और असहमति पैदा हो गई।
- ईरान ने औपचारिक समझौते के बिना भी अराश-डोर्रा गैस क्षेत्र की खोज और दोहन को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है।
- ईरानी तेल मंत्री जवाद ओवजी ने कहा कि ईरान क्षेत्र के संबंध में अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा और मुद्दे को हल करने में समझ और सहयोग को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
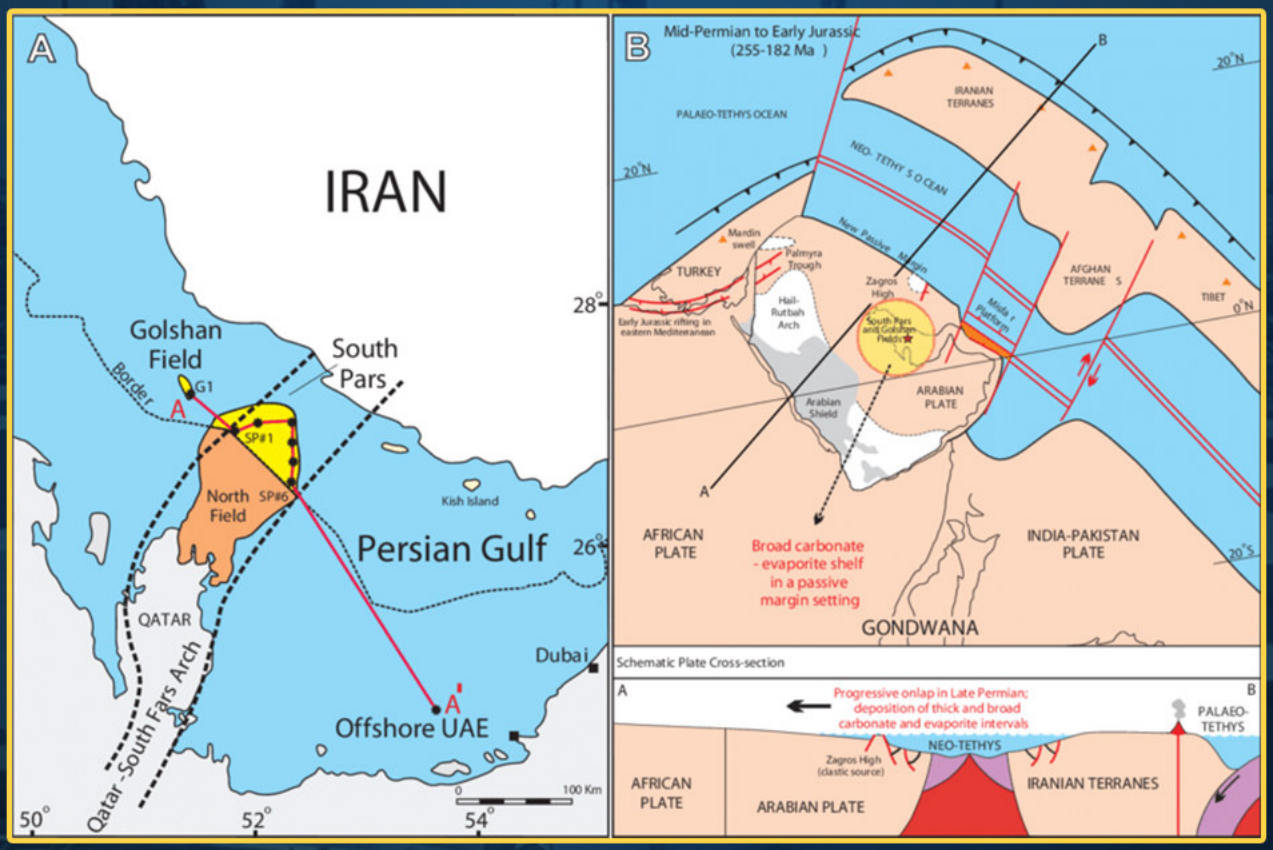
- हालाँकि, कुवैत की हालिया आक्रामक कार्रवाइयों, जिसमें ईरान को बातचीत के लिए आमंत्रित करना और क्षेत्र में ड्रिलिंग और उत्पादन के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा करना शामिल है, ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है।